

प्रेषक,
जी०एन०पन्त,
उप सचिव
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017


विषय: त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को दिये जा रहे मानदेय में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3062/XII(1)/2017/86(10)/2005 दिनांक 11 नवम्बर, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश को निर्गत किए जाने का दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 के स्थान पर त्रुटिवश 11 नवम्बर, 2017 अंकित हो गया है, जो कि वास्तव में 11 दिसम्बर, 2017 है।

2- इस संबंध में शासनादेश संख्या-3062/XII(1)/2017/86(10)/2005 दिनांक 11 नवम्बर, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्गत शासनादेश की तिथि को 11 नवम्बर, 2017 के स्थान पर 11 दिसम्बर, 2017 पढा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,


(जी०एन०पन्त)
उप सचिव।

3095

संख्या : (1)/XII(1)/2017-86(10)/2005 तद दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग-4/7, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड।
12. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लिथो प्रेस, रुड़की, हरिद्वार को 100 प्रतियों में गजट के प्रकाशनार्थ संलग्नक सहित प्रेषित।
13. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी०एन०पन्त)
उप सचिव।

ac